न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 163/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. सुभाष चन्द पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान

:----- अपीलांट

बनाम

1. धनेश चन्द पुत्र नारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान
2. भूमिधारी तहसीलदार, मुण्डावर

:---------- असल रेस्पो0

3. राजेश कुमार पुत्र रामजीलाल
4. सुमन देवी पत्नि केसरसिंह
5. सरोज देवी पत्नि धर्मपाल जाति अहीर
6. थावरिया पुत्र जगदीश जाति अहीर
7. अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल
8. सतीश कुमार पुत्र रामजीलाल
9. वीरेन्द्र कुमार पुत्र रामजीलाल जाति अहीर निवासीयान ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर ।

:---------- तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व प्राथमिक डिक्री उपखंड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर दिनांक 28.6.17

उपस्थित :– 1. वकील अपीलांट :– श्री जनार्दन शर्मा

15/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

निर्णय दिनांक 15/10/19

1 प्रस्तुत अपील न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, मुण्डावर द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2016 अन्तर्गत धारा 53, 188 आर0 टी0 एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 28.6.17 के खिलाफ है, जिसके द्वारा वादी का उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया गया है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने तहत अदालत में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1124/755 रकबा 1.35 हेक्टेयर वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर पक्षकारान की शामलात खाते की आराजी है, जिसमें वादी का 103/324 हिस्सा है । प्रतिवादी नम्बर 02 ने दौराने वाद अपना हिस्सा 53/90 दर 1/3 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.4.2016 को प्रतिवादी नम्बर 3 ला0 6 को तथा 37/90 दर 1/3 हिस्सा का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 20.4.16 को सुमन देवी पत्नि केशवसिंह को कर दिया । इसी खसरा नम्बर 1124/755 रकबा 1.35 हेक्टेयर के 41/106 दर 53/90 दर 1/3 हिस्सा का प्रतिवादी नम्बर 3 ला0 6 व इनके भाई राजेश कुमार पुत्र रामजीलाल ने मिलकर दौराने वाद सरोज देवी पत्नि धर्मपाल जाति अहीर को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 16.5.16 को बेचान कर दिया । अभी आराजी का बेचान नहीं हुआ है । शामलात में खेती करने में प्रतिवादीगण मजाहमत करते हैं । इसलिये तकासमा किया जाकर असल प्रतिवादी नम्बर 9 ला0 11 को पाबन्द किया जावे कि वो मिन वादी के कब्जा काश्त में मजाहमत ना करें । तहत न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का उक्त वाद प्राथमिक तौर पर डिक्री किया है, जिसकी यह अपील है ।

3 विद्वान वकील अपीलांट ने सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर तर्क देते हुये बताया कि अपीलाधीन निर्णय की हमको समय पर जानकारी नहीं हो सकी । सर्वप्रथम दिनांक 5.8.19 को उस समय जानकारी हुई, जब अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी अपीलांट के कब्जे काश्त में मजाहमत की गई और कहा गया कि तुमको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया हुआ है । इस पर वकील से सम्पर्क कर दिनांक 8.8.19 को नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत की है । साथ में दफा 5 मियाद

15/10/19

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है । अतः जानकारी के अभाव में हुई देरी को कंडोन किया जावे ।

4 विद्वान वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया अदालत हाजा द्वारा दिनांक 15.10.19 को अपीलाधीन निर्णय से सदैव के लिए शब्द को कलमजन किये जाने का स्थगन आदेश पारित किया था । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उक्त आदेश की प्रति पालना हेतु तहत अदालत को भिजवाई जावे । साथ ही मेरा निवेदन है कि अपील में हमारा अनुतोष यही है कि अपीलाधीन निर्णय से सदैव के लिये शब्द को कमलजन किया जावे, क्योंकि यह शब्द अंतिम डिक्री में लिखा जाता है, प्राथमिक डिक्री में नहीं । हमारा यह अनुतोष स्थगन आदे श के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया है । अतः इसी स्तर पर अपील पत्रावली फैसल शुमार की जावे और इस निर्णय की प्रति पालना हेतु तहत अदालत को भिजवाई जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील अपीलांट की बहस तर्कों पर गौर किया । सर्वप्रथम मियाद बिन्दू पर गौर किया । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि न्यायालय को मियाद बिन्दू पर लिबरल व्यू अपनाना चाहिये और प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिये । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में एवं विद्वान वकील अपीलांट के तर्कों पर विश्वास करते हुये लिबरल व्यू अपनाया जाता है तथा देरी को कंडोन किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है ।

6 अपील पत्रावली का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अदालत हाजा द्वारा दिनांक 15.10.19 को विद्वान वकील अपीलांट को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनकर अपीलाधीन निर्णय से सदैव के लिऐ शब्द कलमजन किये जाने का स्थगन आदेश दिया गया था । इस सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट का कथन है कि उनका अपील में यही अनुतोष है, इसलिये इस आदेश की प्रति पालना हेतु तहत अदालत को भिजवाई जावे तथा इसी स्तर पर पत्रावली फैसल शुमार की जावे । विद्वान वकील अपीलांट की इस प्रार्थना के परिप्रेक्ष्य में हमने अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री का अवलोकन किया तो पाया कि निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के अन्त में सदैव के लिए शब्द अंकित है । अर्थात हमेशा के लिये निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है, जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वाद में अभी प्राथमिक डिक्री पारित की गई है,

15/10

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अंतिम डिक्री नहीं । प्राथमिक डिक्री में हमेशा के लिये निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायसंगत नहीं है, अंतिम डिक्री में सदैव के लिये निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है । अपीलांट का यह भी कथन है कि हमारा अनुतोष अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में दर्ज सदैव के लिये शब्द को कलमजन कराने बाबत है, जो कि अदालत हाजा द्वारा स्वीकार की जावे, आगे अब कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं, इसलिये अपील पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार की जावे । चूंकि अपीलांट अब आगे कोई अनुतोष नहीं चाहता है और पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार करवाना चाहता है, कानूनी दृष्टि में हम अपीलांट की यह प्रार्थना स्वीकार करते हैं । उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है । अतः आदेश है कि अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है

7 तथा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.6.17 में आंशिक रूप से संशोधन किया जाकर आदेश "न्यायालय दावा बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है । अतः आराजी खसरा नम्बर हाल 1124/755 रकबा 1.35 हेक्टेयर वाके ग्राम रामबास तहसील मुण्डावर जिला अलवर में स्थित का दर्ज रिकार्ड हिस्से अनुसार वादी का खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है । विभाजन प्रस्ताव हेतु तहसीलदार मुण्डावर को आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान की अच्छी में से अच्छी बुरी में से बुरी आराजी अनुसार एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 एवं रास्तो सम्बन्धी राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 6.11.2004 को दृष्टिगत रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर आगामी तारीख पे शी दिनांक 7.7.2017 से पूर्व इस न्यायालय में भिजवायें," यथावत रखा जाता है तथा शेष आदेश "प्रतिवादीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से न करे, न करावें" को प्राथमिक डिक्री से निरस्त किया जाता है ।

8 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

15/11/17

(कमल राम मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर